8/संख्या-238/11-सं0वि0क0नि0-7/2015-700(वि0सं0-3)/2015

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 18 फरवरी, 2015

विषय: मूल्यांकन सूची के संदर्भ में रिट संख्या-2638(एम0बी0) 2010 प्रवीन कुमार जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-01-2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को परिचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मूल्यांकन सूची के संदर्भ में रिट सं0-2638 (एम0बी0) 2010 प्रवीन कुमार जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-01-2015 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका बिन्दु सं0 34 कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"It appears that the collectors/District magistrates all over the State changed the circle rates mechanically without taking a note of the legal proposition discussed herein above, which does not seem to be justified. It shall be appropriate that the Chief Secretary/Principal Secretary, Revenue should circulate the present judgment to all the District magistrates/collectors for future guidance during the course of revision of circle rates. Henceforth, circle rate shall not be revised except keeping in view the observation made in the body of present judgment."

2. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में दिये गये दिशा-निर्देर्शो के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में मूल्यांकन सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://stamp.up.nic.in